	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **राजस्व अपील संख्या 12/2018 अनवान चनणीदेवी बनाम सरपंच, ग्राम पंचायत कुडला एवं अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
	राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुख्यालय पर न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से पक्षकारान ग्राम पंचायत मुख्यालय मंगने की ढ़ाणी पर जरिये नोटिस तलब होकर दिनांक 20.11.2021 को ग्राम पंचायत मुख्यालय, राजीव गांधी सेवा केन्द्र मंगने की ढाणी पर पत्रावली पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर	
20.11.2021	पत्रावली राजीव गांधी सेवा केन्द्र मंगने की ढाणी पर पेश हुई। अपीलार्थी अनुउपस्थित। उत्तरदाता अनुउपस्थित। अपीलार्थी का कथन है, कि अपीलार्थी एवं उत्तरदाता सं0 01 से 08 देराजराम पुत्र अमराराम के प्रथम वर्ग के विधिक वारिसान है। अपीलान्ट एवं उतरदातागण संख्या 01 से 08 का वंशवृक्ष निम्न प्रकार हैः– देराजराम के चनणी (पत्नी) गिरधारीराम, (पुत्र) कमला, (पुत्री) पेम्पों, (पुत्री) गंगा, (पुत्री) टुगी (पुत्री) विधिक वारिश है। गिरधारीराम के गोसाई (पुत्र) कृष्ण(पुत्र) एवं मीरों (पत्नी) अपीलान्ट के पति, उतरदाता संख्या 02 से 5 के पिता एवं उतरदाता संख्या 6 व 7 के दादा तथा उतरदाता संख्या 8 के ससूर देराजराम की उतरदाता संख्या 11 से 14 के साथ सह खातेदारी की भूमि मौजा मंगने की ढ़ाणी तहसील बाडमेर में खेत खसरा नंबर 557 रकबा 206 बीघा किस्म बारानी सोयम व खसरा नंबर 556 रकबा 0.08 बीघा किस्म गै0मु0 ढ़ाणी की आई हुई है तथा अपीलान्ट के पति एवं उतरदाता संख्या 2 से 5 के पिता, उतरदाता संख्या 6 व 7 के दादा, उतरदादा संख्या 8 के ससूर देराजराम का देहान्त वर्ष 1990 को हो गया उसके देहान्त के समय प्रथम वर्ग के जीवित वारिसान में अपीलांट चनणी एवं उतरदाता संख्या 02 से 05 कमला, पेम्पों, गंगा और टूगी तथा उतरदाता संख्या 6 व 7 के पिता एवं 8 के पति गिरधारीराम थे एवं हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार खातेदार देराजराम के देहान्त के समय उसकी सम्पति के अधिकार उसके विधिक वारिसान में निहित हो गये। अपीलान्ट के पति देराजराम की फौतगी पर उनके विधिक वारिसान पत्नी चनणीदेवी, पुत्रीया कमला, पेम्पों, गंगा और टुगी एवं पुत्र गिरधारीराम थे परन्तु पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट के पति देराजराम की फौतगी पर विरासत के नामान्तरकरण में पटवारी हल्का द्वारा मात्र देराजराम के विधिक वारिसान चनणी पत्नी देराजराम, गिरधारीराम पुत्र देराजराम, कमला, पेम्पों पुत्रीयां देराजराम के नाम विरासत का नामान्तरकरण भरकर ग्राम पंचायत कुडला के समक्ष पेश किया। परन्तु देराजराम के विधिक वारिसान गंगा और टुगी के नाम नामान्तरकरण में दर्ज नही किये गये। उक्त नामान्तरकरण पर ग्राम पंचायत द्वारा अपीलान्ट को बिना नोटिस दिये एवं बिना सुनवाई किये कार्यवाही करते हुऐ अपीलान्ट के नाम नामान्तरकरण पारित न कर अकेले गिरधारी पुत्र देराजराम के नाम से गलत रूप से नामान्तरकरण संख्या 03 पारित किया गया। तथा ग्राम पंचायत कुड़ला द्वारा अपीलान्ट के हितों को अनदेखा करते हुए बिना सुनवाई एवं जांच किये अपीलाधीन आदेश स्वीकृत कर दिया गया तथा अपीलाधीन आराजी के	

उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर

खातेदारी रेकर्ड में स्व0 देराजराम के विधिक वारिसान का नाम दर्ज न कर गलत रूप से अकेले गिरधारी पुत्र देराजराम का नाम अंकित कर दिया गया। उक्त नामान्तरकरण की कार्यवाही बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये गैर कानूनी रूप से की गई है। जो निरस्त योग्य है।

अपील पंजीयन कर उत्तरदातागण को जरिये सम्मन तलब किया गया। उत्तरदाता अनुउपस्थित रहे। तहसीलदार, बाड़मेर से अपील में अंकित तथ्यो के बारे में तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। मजमे आम में उपस्थित लोगो से जानकारी ली गई। तहसीलदार बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक प्रतिवेदन अनुसार मृतक खातेदार देराजराम पुत्र अमरा की मृत्यु होने पर ग्राम मंगने की ढाणी की के नामान्तरकरण संख्या 03 वारिसान चनणी पत्नी देराज गिरधारी पुत्र, कमला पेंपा पुत्रीया देराज के नाम से दिनांक 20.05.1990 जरिये घटना बही क्रमांक 150/5190 द्वारा हल्का हल्का पटवारी कुड़ला द्वारा दर्ज किया गया। भू0अ0नि0 निरीक्षण द्वारा 20.05.1990 जांच की गई एवं इन्द्राज सही पाया। परन्तु ग्राम पंचायत कुड़ला द्वारा गिरधारी पुत्र देराज के नाम से नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया एवं उसी अनुसार हल्का पटवारी द्वारा जमाबंदी में अमल दरामद किया गया है। तदुपरांत गिरधारी पुत्र देराज द्वारा अपने हिस्से में से जरियें पंजीयन दस्तावेज दिनांक 03.12.2012 क्रर्म संख्या 2012004593 अनुसार विमलादेवी पत्नी राजेन्द्रकुमार संगीतादेवी पत्नी जितेन्द्रकुार जाति जैन निवासी महावीर चौक बाड़मेर को बेचान किया जिसके फलस्वरूप नामान्तरकरण संख्या 94/20.03.2013 स्वीकृत हुआ है। नामान्तरकरण संख्या 98/19.07.2013 द्वारा गिरधारी पुत्र देराज का हि0 BCCB कुडला में रहन दर्ज किया। तत्पश्चात जरिये विरासत गिरधारीराम के स्थान पर गोसाईराम कृष्णकुमार पि0 गिरधारीराम मीरादेवी पत्नी गिरधारीराम दर्ज किया। प्रार्थी चनणी द्वारा अपील दायर की है कि मृतक देराजराम की वंशावली निम्नांनुसार देराजराम चनणी (पत्नी) गिरधारीराम (पुत्र), कमला (पुत्री), पेम्पों(पुत्री), गंगा(पुत्री), टुगी(पुत्री), मजमें आम में पूछताछ की गई जिसमें वारियों का सत्यापन किया गया। चूंकि अपील चनणी द्वारा की गई है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत, कुड़ला द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण सं0 03 पर पारित आदेश दिनांक 20.05.1990 को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार, बाड़मेर को आदेश दिये जाते है कि नये सिरे से नामान्तरकरण खोला जाकर मौजा मंगने की ढाणी तहसील बाड़मेर में खेत खसरा नंबर 557 रकबा 206 वीघा किस्म बारानी सोयम व खसरा नंबर 556 रकबा 0.08 बीघा किस्म गै0मु0 ढाणी में अंकित मृतक खातेदार देराजराम पुत्र अमराराम जाति जाट के वारिशान के साथ मे अपीलान्ट चनणी (पत्नी) कमला (पुत्री), पेम्पों(पुत्री), गंगा(पुत्री), टुगी(पुत्री), का नाम सहखातेदार के रूप मे अंकित करते हुए समस्त राजस्व अभिलेख में अमलदरामद सुनिश्चित करावे। आदेश मजमें आम में सुनाया गया। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हों।

उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर